भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1088

उत्तर देने की तारीख: 08.02.2021

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

†1088. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ): क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ड.): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.): सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 20(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी को निदेश दिया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 30(I) के तहत आने वाले अल्पसख्यक संस्थानों को छोड़कर केन्द्रीय विश्वविद्यलयों और सार्वजनिक निधि से सहायता प्राप्त करने वाले समवत विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

*****